फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती छगनीबाई **बनाम** **विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर**

किस्म मुकदमा – 131, 136 भू.राजस्व अधिनियम **पत्रावली संख्या : 03/25**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक 28.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 2 अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा संशोधित अनवान पेश किया गया। शामिल फाईल रहें। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज में प्रार्थीया के खातेदारी कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की साबिक आराजी न. 3906, 3907, 3908, 3909/3 किता 1 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के नाम अंकित रही । उपरोक्त कृषि भूमि की प्रार्थीया एक मात्र खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी है एवं राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थीया के नाम पर खातेदारी हक से अंकित रही है। यह कि वर्तमान में किये गये नवीन सेटलमेंट के बाद से राजस्व अभिलेखों में प्रार्थीया के नाम दर्ज उक्त खाता व खसरा की भूमि के खाता व खसरा बदल गये है और वर्तमान राजस्व अभिलेखों में प्रार्थीया के स्वामित्व, आधिपत्य एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी न. 3906, 3907, 3908, 3909/3 किता 1 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि के नवीन खसरा संख्या 5819 किता 1 रकबा 1.2700 है. भूमि के रूप में दर्ज हुई। यह कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा, उपयोग उपभोग चला आ रहा है, परन्तु वक्त नवीन सेटलमेंट प्रार्थीया के खातेदारी कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की उक्त भूमि का राजस्व नक्शा परिवर्तत कर दिया है। जबकि प्रार्थीया का उपरोक्त भूमि पर साबिक नक्शे अनुसार मौके पर कब्जा हो उपयोग उपभोग चला आ रहा है इसलिये साबिक नक्शे अनुसार नवीन सेटलमेंट के नक्शे में शुद्धि कर तरमीम किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि के नक्शे शुद्ध किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई तथा बंदोबस्त के पूर्व के आधार पर तरमीम किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में उप तहसीलदार खेरोदा द्वारा रिपोर्ट [illegible] की गई जिसमें बताया कि राजस्व ग्राम खेरोदा की आराजी सं. [illegible] 27 [illegible] किस्म भूमि बारानी प्रशन लगानी 11.43 होकर जमाबंदी संवत 2078-81 के खाता सं. 381 में श्रीमती छगनीबाई पत्नी रामचन्द्र सुथार निवासी अमरपुरा (खा.) के नाम दर्ज है। उक्त भूमि [illegible] ने साबिक आराजी स. 3906, 3907, 3908, 3909/3 रकबा 5.17 बीघा गायत्रीदेवी पत्नी भगवती लाल मेनारिया से क्रय की जिसका अमल दरामद नामान्तरण सं. 3991, 4089 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:51:00 IST
Reason: SelfAttested

अभिलेख में हुआ। उप तहसीलदार खेरोदा द्वारा बताया कि नक्शे में ... बिना किसी आधार के प्रार्थीया के खेत का नक्शा परिवर्तन कर दिया ... साबिक नक्शा एवं कब्जा काश्त के अनुरूप हाल अशुद्ध नक्शे को ... अपेक्षित है तथा प्रस्तावित शुद्धि हेतु नक्शा ट्रेस प्रति प्रस्तुत की। उप तहसील... द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित प्रविष्टियों में खसरा संख्या 5804/1 रकबा ... भूमि खसरा न. 6281/5819/1 रकबा 0.1000 है. भूमि खसरा न. 5819/... 6500 है भूमि किता 3 कुल रकबा 1.2700 है. भूमि प्रार्थीया श्रीमती छग... रामचन्द्र सुथार सा. अमरपुरा खातेदार के नाम दर्ज किये जाने व खसरा संख्या ... रकबा 0.5200 है. भूमि खसरा संख्या 6281/5819/2 रकबा 0.1300 है ... संख्या 5819/2 रकबा 0.6200 है. भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 1.2700 ... लच्छीराम पुत्र हीरालाल पुन्या जाट हिस्सा 117/18, श्रीमती छगनीबाई प... सुथार हि. 1/118 सुथार सा. अमरपुरा (खा.) के नाम दर्ज किया जाना प्रस्ता... विपक्षी संख्या 2 द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थनाग्रस्त भूमि के नक्शे को शुद्धि कि... कोई आपत्ति नहीं जताई।

हमने पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थनाग्रस्त भूमि... सेटलमेंट के बाद तरमीन गलत अंकित किये जाने से उसे दुरूस्त किये जाने... किया। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि साबिक आराजी... 3907, 3908, 3909/3 रकबा 5.17 बीघा प्रार्थीया श्रीमती छगनीबाई पत्नी रा... के नाम दर्ज है जिसके नये आराजी न. 5819 रकबा 1.2700 है. बने तथा साबि... न. 3906, 3907, 3908, 3909/2 रकबा 5.18 बीघा जिसके नये आराजी ... 6281/5819 रकबा 1.2700 है. भूमि लच्छीराम पुत्र हिरालाल पुन्या जा... 117/118, श्रीमती छगनीबाई पत्नी रामचन्द्र सुथार हिस्सा 1/118 सा. अमरपु... दर्ज है। प्रकरण में उप तहसीलदार खेरोदा व पटवारी हल्का द्वारा अपनी रि... किया है कि भू-प्रबन्धन की कार्यवाही के बाद प्रार्थीया के खेत का नक्शे में ... गया है। प्रकरण में उप तहसीलदार खेरोदा व पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थनाग्र... बन्दोबस्त के पूर्व व बन्दोबस्त के बाद का नक्शा ट्रेस पेश कर स्पष्ट कि... प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम में परिवर्तन हो गया है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा न... पर कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रकरण में उप तहसीलदार खेरोदा की रिपोर्ट ... के पूर्व व बंदोबस्त के बाद के ... भूमि के नक्शे के अवलोकन से ... नवीन बंदोबस्त बाद प्रार्थनाग्रस्त ... की तरमीम में परिवर्तन हो गया है। वर्तमा... न. 5819 रकबा ... है. भूमि ... खातेदार प्रार्थीया है तथा आराजी ... 6281/5819 के खातेदार ... 2 लच्छीराम पुत्र हीरालाल पुन्या जा... 117/118 व प्रार्थीया 1/118 हिस्से की खातेदार है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा ... भूमि के नक्शे को शुद्धि किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Babediya
Date: 2025.11.17 14:51:00 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन एवं उप तहसीलदार खेरोदा व पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त आराजी की तरमीम में परिवर्तन हो गया है जिसे न्यायहित में सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज की आराजी न. 5819, 5804, 6281/5819 को संशोधित करते हुये आराजी न. 5804/1 रकबा 0.5200 है., 6281/5819/1 रकबा 0.1000 है., 5819/1 रकबा 0.6500 है. कुल किता 3 रकबा 1.2700 है. भूमि प्रार्थीया श्रीमती छगनीबाई पत्नी रामचन्द्र सुथार सा. अमरपुरा खातेदार के नाम दर्ज किये जाने व आराजी न. 5804/2 रकबा 0.5200 है. भूमि, 6281/5819/2 रकबा 0.1300 है. भूमि, 5819/2 रकबा 0.6200 है. भूमि कुल किता 3 रकबा 1.2700 है. भूमि श्री लच्छीराम पुत्र हीरालाल पुन्या जाट हिस्सा 117/118, श्रीमती छगनीबाई पत्नी रामचन्द्र सुथार हिस्सा 1/118 सुथार सा. अमरपुरा (खालसा) के नाम दर्ज किये जाने तथा प्रस्तावित (संलग्न) नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:51:00 IST
Reason: SelfAttested